भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-380
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

देश में रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं

380. श्री सी॰ एम॰ रमेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करने के लिए विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न योजनायें आरंभ की हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं से लाभान्वित युवाओं की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;
(ख) देश में कुशल श्रम बल का प्रतिशत क्या है और उनमें से कितनों को इन योजनओं से लाभ प्राप्त हुआ है; और
(ग) क्या सरकार के पास रोजगार की तलाश में विदेश गए कुशल श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में, कोई आंकड़ा उपलब्ध है, तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी, 2019 तक इस योजना के तहत कुल 15.59 करोड़ ऋणों को संस्वीकृत किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु उनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवं ईपीएफ का नियोक्ताओं का संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिए कर रही है। 28 जनवरी, 2019 तक 1.05 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.29 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांवित किया गया है।

(ख): स्किल इंडिया मिशन के तहत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशिप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य 12,000 करोड़ रु. के परिव्यय से देश भर में चार वर्षों अर्थात 2016-20 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षा को मान्यता (आरपीएल) तथा विशेष परियोजना (एसपी) के अंतर्गत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करना है। योजना के तहत, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित अभ्यर्थियों सहित भावी सभी अभ्यर्थियों को अल्प अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के तहत, 24.01.2019 को देश में 37.32 लाख (लगभग) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें एसटीटी (25.25 लाख), आरपीएल (11.27 लाख) एवं विशेष परियोजना के तहत (0.8 लाख) अभ्यर्थी हैं। पीएमकेवीवाई 2016-20 योजना के तहत, नियोजन का पता लगाना अनिवार्य है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के 90 दिनों के भीतर नियोजन डेटा रिपोर्ट किया जाता है। एसडीएमएस पर रिपोर्टित आंकड़ों के अनुसार, 24.01.2019 को, पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत एसटीटी एवं एसपी के तहत 21.03 लाख अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण किया गया। पीएमकेवीवाई के एसटीटी एवं एसपी के तहत प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 90 दिन पूर्व अर्थात 26.10.2018 को 19.39 लाख है, इन अभ्यर्थियों में 24.01.2019 तो 10.64 लाख अभ्यर्थियों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित किया गया है।

(ग): ईसीआर पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों (कुशल एवं अकुशल दोनों) की संख्या, जिन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रवासी अनापति प्रमाण पत्र (ईसी) प्राप्त करने के उपरांत ईसीआर देशों में विदेशों में रोजगार हेतु प्रस्थान किया, अनुबंध-।। में दी गई है।

अनुबंध-I

देश में रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.12.2018 को)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	1104
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	9728
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	1504
4	असम	9026	31498	18256	16752
5	बिहार	19624	25872	18456	11688
6	चंडीगढ़	323	376	360	0136
7	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	12896
8	दिल्ली	2048	952	920	424
9	गोवा	500	660	400	304
10	गुजरात*	14960	11629	15008	15720
11	हरियाणा	7232	11016	13744	9232
12	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	6296
13	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	31160
14	झारखंड	12873	10400	8888	5032
15	कर्नाटक	17284	30286	16920	16624
16	केरल	9653	13068	10776	10624
17	लक्षद्वीप	00	00	00	0
18	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	9040
19	महाराष्ट्र**	20161	17799	26632	24496
20	मणिपुर	2715	8419	4800	4864
21	मेघालय	4824	2632	600	1496
22	मिजोरम	9072	3400	1992	3600
23	नागालैंड	4998	7783	7440	3432
24	ओडिशा	17629	20392	19192	12976
25	पुडुचेरी	447	699	352	384
26	पंजाब	7762	9858	12160	7936
27	राजस्थान	14537	13408	12614	10296
28	सिक्किम	397	201	296	232
29	तमिलनाडु	20836	25764	32760	23408
30	तेलंगाना	7761	6445	9520	8376
31	त्रिपुरा	5355	17961	8928	3120
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	27600
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	10144
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	11352
	कुल	323362	407840	387184	311976

**दमन व दीव सहित

** दादरा व नागर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

क्र.सं.	राज्य	सृजित मानवदिवसों की संख्या (करोड़ में)			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 30/01/2019 को
1	आंध्र प्रदेश	19.92	20.60	21.20	20.23
2	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.85	0.43	0.42
3	असम	4.86	4.66	4.82	3.28
4	बिहार	6.71	8.58	8.18	9.57
5	छत्तीसगढ़	10.14	8.86	11.99	10.33
6	गोवा	0.011	0.013	0.010	0.001
7	गुजरात	2.25	2.71	3.53	3.25
8	हरियाणा	0.48	0.85	0.90	0.59
9	हिमाचल प्रदेश	1.78	2.37	2.20	2.35
10	जम्मू और कश्मीर	3.16	3.16	3.78	2.49
11	झारखंड	5.86	7.07	5.93	4.20
12	कर्नाटक	5.98	9.14	8.58	8.02
13	केरल	7.42	6.85	6.20	7.09
14	मध्य प्रदेश	12.37	11.30	16.23	16.60
15	महाराष्ट्र	7.63	7.09	8.25	6.41
16	मणिपुर	0.75	1.19	0.61	0.51
17	मेघालय	2.00	2.83	2.92	2.27
18	मिजोरम	1.31	1.68	1.44	1.35
19	नागालैंड	2.12	2.91	2.37	0.79
20	ओडिशा	8.94	7.74	9.22	6.79
21	पंजाब	1.44	1.58	2.23	1.53
22	राजस्थान	23.41	25.96	23.98	19.16
23	सिक्किम	0.44	0.46	0.35	0.26
24	तमिलनाडु	36.87	39.99	23.89	18.89
25	तेलंगाना	14.18	10.82	11.47	10.71
26	त्रिपुरा	5.39	4.61	1.76	2.09
27	उत्तर प्रदेश	18.22	15.75	18.17	17.48
28	उत्तराखंड	2.24	2.37	2.23	1.69
29	पश्चिम बंगाल	28.65	23.56	31.26	31.00
30	अण्डमान और निकोबार	0.03	0.04	0.02	0.13
31	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
32	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
33	लक्षद्वीप	0.00032	0.00001	0.00059	0.0008
34	पुडुचेरी	0.06	0.05	0.07	0.06
	कुल	235.14	235.65	234.22	209.40

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग) प. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 15-16	वित्त वर्ष 16-17	वित्त वर्ष 17-18	वित्तीय वर्ष 18-19 दिसंबर 18 तक, 10.01.19 को (एमपीआर के अनुसार)
		नियोजित	नियोजित	नियोजित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	1989	18966	10954	21620
2	असम	3022	1479	3464	5257
3	बिहार	3685	4216	4859	5019
4	छत्तीसगढ़	4463	1987	539	2193
5	गुजरात	5083	2075	160	928
6	हरियाणा	8807	586	5832	4065
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	245
8	जम्मू और कश्मीर	16524	6453	1424	152
9	झारखंड	1314	2355	2375	1767
10	कर्नाटक	5443	4432	4752	4148
11	केरल	2446	5598	4175	7534
12	मध्य प्रदेश	3954	3546	1823	1650
13	महाराष्ट्र	0	3694	7390	2404
14	मेघालय	0	0	0	202
16	ओडिशा	18001	45726	14035	23672
17	पंजाब	0	0	563	1372
18	राजस्थान	12844	3397	693	2782
19	सिक्किम	205	70	0	0
20	तमिलनाडु	9375	30780	765	121
21	तेलंगाना	1830	9150	9048	13123
22	त्रिपुरा	75	342	526	1320
23	उत्तर प्रदेश	8552	2052	892	2973
24	उत्तराखंड	0	0	0	157
25	पश्चिम बंगाल	1900	979	1518	2362
	कुल	109512	147883	75787	105066

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

23.01.2019 को

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	वि.त. 2015-16	वि.त. 2016-17	वि.त. 2017-18	वि.त. 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	3116	35882	12010	39148
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	113	297
3	असम	0	293	1284	261
4	बिहार	90	176	1546	354
5	छत्तीसगढ़	3513	5858	6476	3675
6	गोवा	0	66	639	1115
7	गुजरात	226	3920	6388	8981
8	हरयाणा	0	0	685	556
9	हिमाचल प्रदेश	196	86	100	149
10	जम्मू और कश्मीर	254	0	25	60
11	झारखंड	0	2700	20795	3334
12	कर्नाटक	3527	637	898	0
13	केरल	0	443	2413	2566
14	मध्य प्रदेश	4307	38060	3039	22913
15	महाराष्ट्र	0	11768	6083	12036
16	मणिपुर	6	0	0	62
17	मेघालय	0	317	111	7
18	मिजोरम	0	147	91	934
19	नागालैंड	691	341	1749	0
20	ओडिशा	0	2467	776	0
21	पंजाब	0	0	1139	1049
22	राजस्थान	0	0	33	1633
23	सिक्किम	0	0	0	228
24	तमिलनाडु	6262	0	1156	1911
25	तेलंगाना	3718	1861	10013	4249
26	त्रिपुरा	0	0	2	214
27	उत्तर प्रदेश	0	42174	30058	28
28	उत्तराखंड	0	1731	0	733
29	पश्चिम बंगाल	6322	2691	6919	1257
30	चंडीगढ़	1436	283	875	0
	कुल	33664	151901	115416	107750

स्रोत: आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अनुबंध-।।

देश में रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 06.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान देश-वार ईसीआर पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों की प्रवासी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने वालों की संख्या

क्र.सं.	देशों का नाम	2016	2017	2018
1	बहरीन	11964	11516	9142
2	इंडोनेशिया	01	10	10
3	जॉर्डन	2742	2341	1941
4	कुवैत	72384	56380	57613
5	लेबनान	316	110	109
6	मलेशिया	10604	14002	16370
7	ओमान	63236	53332	36037
8	कतर	30619	24759	34471
9	एस. अरबिया	165355	78611	72399
10	थाईलैंड	01	0	6
11	संयुक्त अरब अमीरात	163716	149962	112059
	कुल	520938	391024	340157

स्रोतः ई-प्रवासी पोर्टल